

दिनांक 16.11.2016 को कृषि विभाग के सभा कक्ष में प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- पंजी में संधारित।

1. बीज

- 1.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि रब्बी 2016-17 में मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना अन्तर्गत बी0आर0बी0एन0 से गेहूँ बीज का उठाव अभी तक पूर्णिया एवं खगड़िया जिला में नहीं किया गया है तथा कैमूर, नवादा, सारण, सिवान, गोपालगंज, मधुबनी, किशनगंज, कटिहार, अररिया एवं बांका में निर्धारित लक्ष्य से कम मात्रा में बीज का उठाव किया गया है। विपणन प्रमुख, बी0आर0बी0एन0 द्वारा सूचित किया गया कि पूर्णिया का बीज रास्ते में है, आज पहुँच जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि उनके जिला से राशि जमा करा दी गई है, आज बीज का उठाव हो रहा है। संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अपने लक्ष्य के अनुसार अविलम्ब बी0आर0बी0एन0 से बीज का उठाव कर कृषकों के बीच ससमय वितरण कराना सुनिश्चित करें।
- 1.2 सूचित किया गया कि राज्य में सभी बीज कम्पनियों के पास कुल 1,39,523 क्वी0 गेहूँ बीज उपलब्ध है। राज्य में गेहूँ बीज की कहीं कोई कमी नहीं है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को अपनी योजना/गैर योजना/अनुदान/गैर अनुदान हेतु आवश्यकतानुसार बीज की व्यवस्था कर कृषकों के बीच ससमय वितरित कराने तथा प्रत्येक सप्ताह बीज वितरण का प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।
- 1.3 सूचित किया गया कि बी0आर0बी0एन0 के पास अभी भी राई/सरसों का भागलपुर में 60 क्वी0 तथा हाजीपुर में 36 क्वी0 कुल 96 क्वी0 बीज उपलब्ध है। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि विपणन प्रमुख, बी0आर0बी0एन0 से सम्पर्क कर दो दिनों के अन्दर बीज का उठाव कर लें क्योंकि इसके बुआई का समय अब समाप्त हो रहा है।
- 1.4 सूचित किया गया कि 130 क्वी0 मसूर बीज एन0एस0सी0 के पास मधुबनी में उपलब्ध है। जिन जिलों को आवश्यकता है वे एन0एस0सी0 से सम्पर्क कर बीज का उठाव कर लें।
- 1.5 निदेश दिया गया कि सभी जिलों में गुणवत्तापूर्ण बीज ससमय कृषकों के बीच वितरण कराना सुनिश्चित किया जाय। सभी योजनाओं में बिक्री हो रहे सभी कम्पनियों के बीज का नमूना लेकर भेजने तथा बगैर अनुज्ञप्ति के बीज बिक्री करने वाले विक्रेता पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया तथा की गयी कार्रवाई से कृषि निदेशक को अवगत कराने का निदेश सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया।
- 1.6 सूचित किया गया कि रब्बी में प्रमाणित बीज उत्पादन की योजना का स्वीकृति आदेश आज ही निर्गत होने वाला है। आधार बीज की व्यवस्था कर किसानों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर किसानों को अनुदान पर आधार बीज उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- 1.7 खरीफ, 2016 में मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम, एकीकृत बीज ग्राम योजना एवं मिनीकीट योजना अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई कुल राशि 709.03 लाख रू0 में से अभी तक मात्र 129.71 लाख रू0 की निकासी जिलों में की गई है। नालन्दा, भोजपुर, जहानाबाद, शेखपुरा, सुपौल, अररिया एवं खगड़िया में निकासी अभी तक शून्य है। जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा सूचित किया गया कि 96 हजार रू0 का विपत्र कोषागार में भेजा गया है। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि खरीफ हेतु उपलब्ध कराई गई राशि की निकासी कर दस दिनों के अन्दर कृषकों को डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

- 1.8 निदेश दिया गया कि खरीफ, 2016 में विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत हुई बीज की उपलब्धि का योजनावार/फसलवार डी0बी0टी0 से लाभान्वित किसानों की संख्या संबंधी प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में दस दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनु0- कंडिका- 1.1 से 1.8 संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

2. मृदा स्वास्थ्य कार्ड

- 2.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में लक्ष्य के अनुसार कुल मिट्टी नमूना एकत्रित करने में भोजपुर, नालन्दा, बक्सर, सीतामढ़ी, जमुई, अररिया एवं सुपौल की स्थिति बहुत ही दयनीय है तथा प्रयोगशाला में जाँच हेतु मिट्टी नमूना भेजने की स्थिति किशनगंज, शेखपुरा, अररिया, भोजपुर एवं औरंगाबाद में बहुत ही दयनीय है। निदेश दिया गया कि 30 नवम्बर, 2016 तक लक्ष्य के अनुसार मिट्टी नमूना एकत्रित कर प्रयोगशाला में भेज दिया जाय। क्योंकि अभी खेत खाली है। फसल लग जाने के बाद मिट्टी नमूना नहीं लिया जा सकेगा।
- 2.2 निदेश दिया गया कि दिनांक 05.12.2016 को सभी जिलों एवं प्रखंडों में शिविर लगाकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण किया जाय। कार्ड वितरण पर लगातार निगरानी रखने तथा कार्ड को पढ़ने एवं समझने की विधि किसानों को कैम्प में बताने का निदेश दिया गया।
- 2.3 निदेश दिया गया कि जिलान्तर्गत पड़ने वाले कृषि विज्ञान केन्द्र/अन्य मिट्टी जाँच प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाय तथा उन्हें भी जाँच हेतु नमूना उपलब्ध कराया जाय एवं चलन्त मिट्टी जाँच प्रयोगशाला का लगातार संचालन सुनिश्चित किया जाय। मार्च, 2017 तक सभी ग्रीडों से नमूना की जाँच अनिवार्य रूप से करने का निदेश दिया गया।
- 2.4 सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को मिट्टी जाँच का प्रतिवेदन प्रतिदिन भेजने तथा भारत सरकार के वेबसाईट एम0आई0एस0 पोर्टल पर वर्ष 2016-17 का डाटा अपलोड करने का निदेश दिया गया।
- 2.5 एन0एम0एस0ए0 योजनान्तर्गत जिला स्तरीय कमिटी की बैठक दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह में कर ग्राम स्तरीय मिनी लैब के आवेदन पत्रों की अनुशंसा करने का निदेश दिया गया।
- 2.6 प्रत्येक जिला से प्रत्येक माह मृदा स्वास्थ्य कार्ड से संबंधित एक किसान की सफलता की कहानी भारत सरकार के निर्धारित विहित प्रपत्र में भेजने का निदेश दिया गया।
- 2.7 सभी मिट्टी जाँच प्रयोगशाला में एसीटिलीन/एल0पी0जी0/जेनरेटर हेतु इंधन/रसायनों एवं ग्लासवेयर की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
- 2.8 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अरवल, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय एवं भागलपुर के मिट्टी जाँच प्रयोगशाला में कर्मचारी की कमी है। संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को कृषि समन्वयक को प्रतिनियुक्त कर मिट्टी जाँच कराने का निदेश दिया गया।
- 2.9 सभी 245 राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों से मिट्टी नमूना लेकर पटना स्थित केन्द्रीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला में भेजने तथा इसका जाँच कराकर दिनांक 05.12.2016 तक सभी प्रक्षेत्रों का मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार कर लेने का निदेश दिया गया।

(अनु0-कंडिका- 2.1 से 2.9 सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक, शष्य/सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3. वर्षाश्रित क्षेत्र विकास योजना (आर0ए0डी0) :-

सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 की राशि को पुनर्विधिकरण कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 9 जिलों में इस योजना को क्रियान्वित करने हेतु योजना स्वीकृत हो गई है। राशि कोषागार से निकासी की जानी है। संबंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को अविलम्ब कृषकों का चयन कर योजना क्रियान्वित करने तथा राशि व्यय कर प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0-संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

4. ई-किसान भवन :-

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के अनुपाल हेतु सभी जिलों में ई-किसान भवन की गुणवत्ता जाँच हेतु टीम का गठन हो गया है। लेकिन अभी तक जाँच प्रतिवेदन मात्र पूर्णिया जिला से प्राप्त हुआ है। शेष जिला कृषि पदाधिकारियों को अविलम्ब जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0-संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

5. जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम :-

- 5.1 इस योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 34.00 करोड़ रू० में से अभी तक जिलों में मात्र 1.82 करोड़ रू० की निकासी की गई है। जो संतोषजनक नहीं है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पटना में 5.00 लाख रू०, अरवल में 25.00 लाख रू० रोहतास में 45.00 लाख रू०, गया में 74.00 लाख रू० की निकासी हो गई है। बेगूसराय में 48.00 लाख रू० एवं अररिया में 11.25 लाख रू० का विपत्र कोषागार में गया है। निदेश दिया गया कि सभी घटकों हेतु लक्ष्य के अनुसार दिनांक 30.11.2016 तक कृषकों को स्वीकृति आदेश निर्गत कर राशि व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।
- 5.2 सूचित किया गया कि गोबर गैस योजना हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित हो गया है। 21 नवम्बर 2016 तक आवेदन दिया जा सकता है।

(अनु0-कंडिका-5.1 से 5.2-सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

6. कृषि यांत्रिकीकरण :-

- 6.1 राज्य नोडल पदाधिकारी (यांत्रिकीकरण) द्वारा बतलाया गया कि SMAM योजनान्तर्गत कस्टम हायरिंग हेतु कृषि यंत्र बैंक की स्थापना से सम्बंधित प्रतिवेदन का फार्मेट Google Docs पर Upload किये जाने के बावजूद कतिपय जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा update नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण भारत सरकार को अद्यतन भौतिक प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, जमुई, गोपालगंज एवं खगड़िया जिला में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हेतु आवेदन अबतक प्राप्त नहीं किया जाना खेदजनक है। आज की बैठक में सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को 30 नवम्बर के पूर्व वांछित भौतिक उपलब्धि का प्रतिवेदन निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- 6.2 कतिपय जिलों से यांत्रिकीकरण मेला समाप्ति के बाद प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं। कृषि यांत्रिकीकरण मेला में वितरित कृषि यंत्रों पर दिये गये अनुदान से सम्बंधित प्रतिवेदन मेला के अगले दिन निश्चित रूप से statenodalmecl8@gmail.com पर भेजने का निदेश दिया गया है।

(अनु0- कंडिका-6.1 से 6.2- सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

- 6.3 ऐसा देखा जा रहा है कि यांत्रिकीकरण मेला या मेला के बाहर अनुदान पर वितरित कृषि यंत्रों का Information यंत्र विक्रेता द्वारा ससमय Update नहीं किया जा रहा है। इसके लिए सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को जिला स्तरीय मेला के पूर्व यंत्र विक्रेताओं की बैठक बुलाकर इसे सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया है।

(अनु0- सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक, शष्य)

- 6.4 सभी जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा कस्टम हायरिंग अंतर्गत कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हेतु किसानों की माँग के अनुरूप ट्रैक्टर को 10 लाख रू० लागत वाले कृषि यंत्र बैंक में भी पुनः शामिल करने का अनुरोध किया गया। सम्यक विचारोपरांत इस पर अलग से आदेश प्राप्त करने हेतु संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

